

## राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश

लखनऊ - 226027

संख्या : जी- ६५७१ / जी०एस०

दिनांक : २७ सितम्बर, 2021

### कार्यालय ज्ञाप

विषय :- राज्य विश्वविद्यालयों में वितरण हेतु लम्बित पड़ी पुरानी डिग्रियों तथा भविष्य में दीक्षान्त उपरान्त डिग्रियों के वितरण के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वितरण हेतु लम्बित पड़ी डिग्रियों के वितरण के सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई थी जिसमें निम्न सदस्य थे:-

- i. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- ii. कुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
- iii. कुलपति, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
- iv. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
- v. कुलपति, शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
- vi. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
- vii. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
- viii. कुलपति, ए०पी०ज० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ
- ix. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान (अभिमत) विश्वविद्यालय, लखनऊ
- x. कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (शिक्षा)

उक्त समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न हुई जिसमें भातखण्डे संगीत संस्थान (अभिमत) विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति को छोड़कर शेष सभी सदस्य उपस्थित थे। भातखण्डे संगीत संस्थान (अभिमत) विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति के प्रतिनिधि के रूप में संस्थान के कुलसचिव उपस्थित थे। समिति की उक्त बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है-

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त विवरण के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में लाखों की संख्या में विगत कई वर्षों की छात्रों की डिग्रियाँ वितरण हेतु शेष पड़ी होनी पायी गयीं। इनमें से कई डिग्रियाँ तो 10-20 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष की पुरानी हैं। इनमें से कतिपय डिग्रियाँ विश्वविद्यालय स्तर पर लम्बित

हैं तथा कतिपय डिग्रिया सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर लम्बित हैं। कुलपतिगण द्वारा इंगित किया गया कि कतिपय विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा उपाधि शुल्क जमा न करने, अदेयता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने, छात्रों का अधुनान्त पता उपलब्ध न होने आदि कारणों से इन डिग्रियों का वितरण नहीं हो सका। समस्या के बारे में गहनता से विचार किया गया तथा इस समस्या के निदान के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करने के बारे में सभी के सुझाव प्राप्त किये गये— प्रथमतः भविष्य में दीक्षान्त के तत्काल बाद सभी छात्रों को उनकी डिग्रियां अविलम्ब वितरित हो जायें तथा द्वितीयतः विगत वर्षों की लम्बित डिग्रियों को छात्रों को किस प्रकार वितरित करायी जायें। यह भी इंगित किया गया कि बहुत पुरानी डिग्री को प्राप्त करने के बारे में अब छात्रों में रुचि नहीं है। इसके कारण भी पुरानी डिग्रियां लम्बित पड़ी हुई हैं तथा विश्वविद्यालय ने इन डिग्रियों को तैयार तो करा लिया है और अब इन्हें सुरक्षित रखने के दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है जिस पर अनावश्यक व्यय हो रहा है।

इस समस्या के निदान के बारे में विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्नवत् कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी:-

- 1) भविष्य में दीक्षान्त के तत्काल बाद सभी छात्रों को उनकी डिग्रियां अविलम्ब वितरित कराने के बारे में निमानुसार व्यवस्था लागू करने का मत स्थिर किया गया:-
  - a) सभी विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से डिजीलाकर में डिग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  - b) सभी छात्रों से देय उपाधि शुल्क शिक्षा सत्र के अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर की फीस के साथ ही जमा करा लिया जाये।
  - c) सभी छात्रों को अन्तिम अंकपत्र या प्रोवीजनल डिग्री सर्टफिकेट देने से पूर्व उनसे अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाये।
  - d) सभी छात्रों से उनके शिक्षा सत्र के अन्तिम वर्ष/अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व उनके पते का वितरण प्राप्त कर लिया जाये जिस पते पर डिग्री दीक्षान्त में उनके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर दीक्षान्त उपरान्त उन्हें डाक से भेजी जा सके।
  - e) डिग्री भेजने के लिए छात्रों से किसी प्रकार का कोई आवेदनपत्र नहीं लिया जायेगा।
- 2) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विगत वर्षों की लम्बित डिग्रियों को छात्रों को वितरित करने के बारे में निमानुसार कार्यवाही करने का मत स्थिर किया गया:-
  - a) विगत वर्षों की लम्बित डिग्रियों को छात्रों को वितरित करने के बारे में अब उपाधि शुल्क लेने के बाध्यता को समाप्त कर दिया जाये और यह सभी डिग्रियां निःशुल्क वितरित की जायें।
  - b) विगत वर्षों की लम्बित डिग्रियों को छात्रों को वितरित करने के बारे में अब अदेयता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी छात्रों को अन्तिम अंकपत्र पर प्रोवीजनल डिग्री सर्टफिकेट निर्गत किये जा चुके होंगे।
  - c) डिग्री भेजने के लिए छात्रों से किसी प्रकार का कोई आवेदनपत्र नहीं लिया जायेगा।


- d) प्रथम चरण में विगत चार शिक्षा सत्रों 2016–17, 2017–18, 2018–19 तथा 2019–20 की डिग्रियों को वितरित कराने का लक्ष्य रखा जाये। इसके लिए वृहद अभियान आरम्भ किया जाये।
- e) इस आशय का समुचित प्रचार–प्रसार हो कि सभी छात्र अपनी पुरानी डिग्री विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा और न ही अदेयता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। उन्हें कोई आवेदनपत्र भी नहीं देना होगा।
- f) विश्वविद्यालय की Alumini Association के माध्यम से भी सभी छात्रों को सूचित किया जा सकता है।
- g) इस हेतु विश्वविद्यालयों/सम्बद्ध महाविद्यालयों में कैम्प का भी आयोजन किया जा सकता है।
- h) विश्वविद्यालय के अभिलेखों के आधार पर छात्रों के मोबाइल नम्बर या उनकी मेल आईडी के माध्यम से सम्पर्क करके उनके अधुनान्त पते की जानकारी करके उन्हें डिग्री डाक से भेजने का प्रबन्ध किया जा सकता है।
- i) उपरोक्तानुसार प्रथम चरण में चार शिक्षा सत्रों के लिए प्रयास किया जा रहा है, किन्तु यदि इससे पूर्ववर्ती वर्षों के छात्र डिग्री लेने आते हैं या अन्य माध्यमों से सम्पर्क करते हैं तो उन्हें भी उपरोक्तानुसार डिग्री उपलब्ध करा दी जाये।

समिति द्वारा डिग्री वितरण के बारे में उपरोक्तानुसार की गई संस्तुतियों को आपको इस अनुरोध के साथ मुझे प्रेषित करने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय/संस्थान में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

महेश कुमार गुप्ता  
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कुलपति/निदेशक समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को कृपया सूचनार्थ।
3. गार्ड फाईल हेतु।

  
(डा० पंकज एल० जानी )  
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी